

कार्यालय जिला पंचायत, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)

फोन : 07762-220185, ई-मेल: aponrega.raigarh@gmail.com

--: विज्ञापन ::--

क्रमांक/77307/ जि.पं./स्था./VB- G RAM G/2026-27

रायगढ़, दिनांक : 16/10/2026

आयुक्त, विकसित भारत- जी राम जी, नवा रायपुर अटल नगर, (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/1/566646/2026/वि-7/स्था./VB- G RAM G नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06/08/2026 एवं पत्र क्रमांक/1/608889/2026/वि-7/स्था./VB- G RAM G नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31/08/2026 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विकसित भारत जी राम जी योजनांतर्गत जिला- रायगढ़ एवं नवीन जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़ अंतर्गत जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर रिक्त संविदा पदों पर भर्ती किये जाने के संबंध में अनुमति दिया गया है तथा संविदा/मानदेय पदों के निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं चयन हेतु मेरिट अंक संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त हुआ है। उपरोक्त प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप संविदा रिक्त पदों पर चयन/नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता व मेरिट अंक के निर्धारण के अनुक्रम पर जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर अधोलिखित पदों व उनके सम्मुख दर्शाये गये विवरण अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं के अर्हताधारी ईच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 10.11.2026 सायं 05:30 बजे तक निम्न नियम एवं शर्तों के अधीन आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते हैं :-

पदों का विस्तृत विवरण

स. क्र.	पद का नाम	कुल रिक्त पदों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्त पदों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्त पदों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्त पदों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद				योग
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	कार्यक्रम अधिकारी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	सहायक प्रोग्रामर	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
4	लेखापाल	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	योग :-	3	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11

निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं चयन हेतु मेरिट अंक

क्र.	पदनाम	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता	मेरिट हेतु निर्धारित अंक विवरण	
1	2	3	4	5
1	कम्प्यूटर प्रोग्रामर (वितन बैंड-15600-39100 लेवल 12, ग्रेड वेतन 5400) 51780/-	प्रथम श्रेणी - बी.ई. कम्प्यूटर साईंस/एम.सी.ए./एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस)/बी.ई.(आई.टी.)। डॉट नेट टेक्नालॉजी/जावा/एम.एस. एस.क्यू.एल./ ओरेकल के ज्ञान को प्राथमिकता	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए	70 अंक
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा	15 अंक
			डॉट नेट टेक्नालॉजी/जावा/एम.एस.एस.क्यू.एल. / ओरेकल के ज्ञान पर	5 अंक
			शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव :-	
			न्यूनतम 2 वर्ष तक का अनुभव	5
			2 वर्ष से अधिक का अनुभव	10
2	कार्यक्रम अधिकारी (संविदा) (वितन बैंड - 9300-34800 लेवल 10, ग्रेड वेतन 4400) 39875/-	प्रथम श्रेणी में एम.बी.ए./बी.ई. /MRTM (Master of Rural Technology and Management)/गणित/भौतिक विषय में स्नातकोत्तर।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए	70 अंक
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा	15 अंक
			शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव :-	
			न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव	5 अंक
			5 वर्ष तक का अनुभव	10 अंक
			5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15 अंक
3	सहायक प्रोग्रामर (संविदा) (वितन बैंड - 9300-34800 लेवल 09, ग्रेड वेतन 4300) 35165/-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस/सूचना प्रौद्योगिकी)/ एम.सी. ए. या समकक्ष उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईंस/सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई./बी.टेक या समकक्ष उपाधि।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए	45 अंक
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्त मेरिट अंक के आधार पर (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य) पर 100 अंको का Weightage देते हुए	40 अंक
			शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव :-	
			न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव	5 अंक
			5 वर्ष तक का अनुभव	10 अंक
			5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15 अंक
4	लेखापाल (संविदा) (वितन बैंड - 5200-20200 लेवल 06, ग्रेड वेतन 2400) 23350/-	55 प्रतिशत में बी.कॉम. (अ.ज. जा. एवं अ.जा. हेतु 50 प्रतिशत में बी.कॉम.) (बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लिए द्वितीय श्रेणी में बी.कॉम उत्तीर्ण)	हायर सेकेण्डरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए	20 अंक
			न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए	50 अंक
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा	15 अंक
			शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव :-	
			न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव	5 अंक
			5 वर्ष तक का अनुभव	10 अंक
			5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15 अंक

वेदन की नियम एवं शर्तें :-

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन केवल पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 16.10.2026 से 10.11.2026 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय सायं. 5:30 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत- रायगढ़ (छ.ग.) में ही स्वीकार किये जायेंगे। अन्य किसी माध्यम से तथा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. रिक्त पदों के लिये पदवार अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य है साथ ही पत्राचार हेतु एक खाली लिफाफा 5 रु. डाक टिकट सहित स्वयं का पता लिखा आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम / संवर्ग का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
4. चयन प्रक्रिया से संबंधित अद्यतन जानकारी हेतु सतत् रूप से जिला पंचायत कार्यालयीन सूचना पटल के साथ-साथ एनआईसी जिला रायगढ़ की वेबसाईट www.raigarh.cg.gov.in का सतत् अवलोकन करते रहे। विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप जिला पंचायत रायगढ़ (छ.ग.) के सूचना पटल एवं जिला रायगढ़ के वेबसाईट www.raigarh.cg.gov.in से अवलोकन/डाउनलोड किया जा सकता है।
5. आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी, 2026 के आधार पर की जायेगी।
6. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ.9-1-3 दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 के संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी एवं ज्ञापन क्रमांक NO. RULE/644/2025-GAD-3 नवा रायपुर दिनांक 16.09.2026 के अनुसार शासकीय सेवा में कार्यरत सेवक, निगम/मंडल/संविदा कर्मी/नगर सैनिक के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।
7. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना एवं प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उक्त संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
9. आरक्षित पदों में आवेदन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
10. आवेदन में आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो एवं समस्त प्रमाण-पत्र तथा अंकसूची स्वप्रमाणित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त माना जावेगा।
11. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को गैरछ्त्रीमिलेयर का लाभ लेने के लिए विगत 03 वर्ष के भीतर का उसके पिता/माता/अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
12. संविदा नियुक्ति 28 फरवरी 2027 तक के लिए होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर पदनिरंतरता, कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि बढ़ायी जा सकती है।
13. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ. 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी।
14. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
15. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
16. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन जमा/देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
17. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
18. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनको प्रायोगिक / कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा। तद्युपरान्त प्रायोगिक / कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
19. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या रिक्तियों के विरुद्ध 10 गुणा से अधिक होती है तो वरीयता क्रम के आधार पर चयन प्रक्रिया के अग्रिम चरण हेतु 01 पद के विरुद्ध वरीयता के आधार पर 10 आवेदकों को बुलाया जावेगा। 10 गुणा में पर्याप्त अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते हैं तो चयन समिति के निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले

आवेदक को नियुक्ति दी जा सकेगी एवं इस सूची की वैधता 01 वर्ष होगी, जिसे प्रतीक्षा सूची में रखी जावेगी। भविष्य में पद रिक्त होने पर वरीयता क्रमानुसार प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।

20. शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव होने पर ही अनुभव का अंक प्रदान किया जावेगा।
21. कम्प्यूटर प्रोग्रामर (संविदा) पद हेतु डॉट नेट टेक्नालॉजी/जावा/एम.एस.एस.क्यू.एल./ओरेकल के ज्ञान का वैध दस्तावेज उपलब्ध होने पर ही निर्धारित 05 अंक प्रदान किया जावेगा।
22. अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु संबंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे एवं अनुभव प्रमाण पत्र में वेतनमान एवं कार्यरत शासकीय ग्रामीण विकास योजना का नाम का उल्लेख होना, एवं बैंक स्टेटमेंट अनिवार्य है। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अनुभव का अंक प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिये आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा।
23. शासकीय/गैर-शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
24. शैक्षणिक योग्यता हेतु डिग्री / प्रोविजनल डिग्री/अंकसूची आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
25. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जावेगा। अतः अंकसूची का पृष्ठ भाग भी सावधानी से फोटोकॉपी करते हुए स्वप्रमाणित कर संलग्न करें।
26. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जावेगी।
27. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा से अनुशासन हीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक् किया गया हो चयन/नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि इस संबंध में नियुक्ति होने के बाद संज्ञान में आता है, तो नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी।
28. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं पृथक् से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
29. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
30. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। ऐसे मामलों में शासनादेश एवं सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर ही छुट्टी की मान्यता होगी।
31. पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है। यह नियुक्ति जिला के लिए निर्धारित रोस्टर अनुसार की जावेगी। किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया स्थगित किया जा सकता है।
32. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
33. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (वीबी- जी राम जी), जिला रायगढ़ (छ.ग.) के पास सुरक्षित रहेगा। प्राप्त आवेदनों के संबंध में कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (वीबी- जी राम जी), जिला रायगढ़ (छ.ग.) का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
34. विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपिकीय/रिक्तियों की संख्या आदि संबंधी त्रुटियां सुधारी जा सकती है, जिसकी सूचना विधिवत् समाचार पत्र/वेबसाइट में प्रकाशित होगी।
35. आवेदन पत्र में किसी भी कंडिका की जानकारी नहीं भरे जाने अथवा अस्पष्ट होने एवं नियम/शर्तों की किसी भी कंडिका का पालन नहीं होने की स्थिति में किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र एवं अभ्यर्थी की उम्मीदवारी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

(कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक VB-G RAM G द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Abhijeet Baban Pathare
Date: 16-10-2026
15:41:45

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायगढ़ (छ.ग.)

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
02. आयुक्त, विकसित भारत- जी राम जी विकास भवन, सेक्टर-19, नार्थ-ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
03. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (VB- G RAM G), रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
04. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (VB- G RAM G), जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत- सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं समस्त जनपद पंचायतों के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।
06. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला- रायगढ़ (छ.ग.) की ओर जिले के अधिकारिक वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
07. सहायक संचालक, जनसंपर्क कार्यालय जिला- रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत- समस्त, जिला- रायगढ़ को सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।
09. कार्यालयीन सूचनापटल पर प्रकाशन हेतु।

सही/-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायगढ़ (छ.ग.)